फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 47 प्रभात जयपुर, गुरूवार 17 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

epaper.rashtradoot.com

Why Everyone Is Suddenly Suing in Delhi?

Why Delhi, and not Mumbai, where most of Bollywood actually lives, or Chennai, where much of South Indian cinema is based?

The Last Painting

Myanmar Unearths a Giant 11,000-Carat Ruby

ब्रिक्स की सफलता, नया मौलिक नारा देने में ही नहीं!

ब्रिक्स की सफलता तब नज़र आएगी, जब फैक्टरी के फ्लोर पर इन बड़ी-बड़ी घोषणाओं का क्रियान्वयन नज़र आएगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की असली परीक्षा झंडे उतरने के बाद शुरु होती है।

भारत के लिए इस शिखर सम्मेलन का महत्व बहुध्रुवीयता (मल्टीपोलैरिटी) जैसी जानी-पहचानी बातों में कम है तथा इस बात में अधिक है कि क्या ब्रिक्स खुद को उन कारोबारियों, उद्यिमयों और उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी साबित कर सकता है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का वह दावा करता है। ''नई दिल्ली घोषणा'' में कई शानदार विचार रखे गए हैं। अब चुनौती यह है कि उन्हें असल लेन-देन, निवेश, रोजगार और प्रभावी कारोबारी नेटवर्क में कैसे बदला जाए।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़े हुए ब्रिक्स ने काफी आर्थिक ताकत हासिल कर ली है। इसकी विविधता इसकी ताकत भी है और इसकी मुश्किल भी। इस समूह में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनकी वित्तीय प्रणालियाँ, नियम- कानून, मुद्राएं औद्योगिक क्षमताएं और भू-राजनीतिक हित अलग-अलग हैं। इसी वजह से बड़े-बड़े ऐलान करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना काफी मुश्किल है। इसलिए भारत को समिट को एक नई वैश्विक व्यवस्था से जुड़ी बातों के आधार पर आंकने के बजाय, असल नतीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसकी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि शायद उतनी नाटकीय न हो: उभरते बाजारों के कारोबारियों के लिए एक बड़ा और अधिक विविध आर्थिक क्षेत्र तैयार करना।

- **अगर, ब्रिक्स देशों के सीमा पार भुगतान को और किफायती बनाया जाता है, इनवॉइस फायनैंसिंग को और बेहतर बनाया जाता है तो व्यापार के लिए आवश्यक ट्रेड फायनैंसिंग की छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्धता बढ़ेगी। 14-ब्रिक्स को अपनी महत्वाकांक्षों पर भी लगाम लगाना होगा तथा डब्ल्यूटीओ का विकल्प बनने की महत्वाकांक्षा नहीं पालनी होगी मन में।**

तीन प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

पहली, बाजार तक पहुंच की बात अब केवल इच्छा तक सीमित न रहकर असल काम में बदलनी चाहिए। अगर टैरिफ, स्टैण्डर्ड और लॉ जिस्टिक्स की रूकावटें और नियम-कानून से जुड़ी बाधाएं कंपनियों के रास्ते में आती रहेंगी, तो व्यापार लगातार लंबे समय तक नहीं बढ़ सकता। भारत को ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल सैक्टर स्पैसिफिक (क्षेत्र-विशेष) व्यवस्थाओं के लिए करना चाहिए, ताकि कारोबारी बड़े व्यापार समझौतों का इंतजार करने के बजाय ठोस अवसरों की पहचान कर सकें।

दूसरी, वित्तीय व्यवस्था का लाभ केवल बड़ी संस्थाओं के लिए नहीं, बल्कि छोटी कंपनियों के लिए भी काम का होना चाहिए। छोटे और मध्यम उद्यम अक्सर महंगे कर्ज, भुगतान में देरी और मुद्रा संबंधी जोखिमों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। अगर ब्रिक्स सीमा पार पेमैंट का रास्ता बना सके, बिलों के आधार पर वित्त की सुविधा बेहतर कर सके और ट्रेड फाइनैंस तक पहुंच बढ़ा सके, तो इससे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के ब्लॉक के दावे को वास्तविक आधार मिलेगा।

तीसरी, टैक्नॉलजी के क्षेत्र में सहयोग खुला और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। आर्टिफिशल इंटैलिजैंस (एआई), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग तेजी से आर्थिक प्रतिस्पर्धा तय करने वाले कारक बन रहे हैं। सहयोग से इनोवेशन, आपसी अनुकूलता, निवेश और पहुंच को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि टैक्नॉलजी के बंटवारे की एक और परत बननी चाहिए।

भारत को ब्रिक्स की सीमाओं को लेकर भी यथार्थवादी होना चाहिए। यह रातोंरात विश्व व्यापार संगठन, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों या स्थापित वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की जगह नहीं ले सकता, और न ही हर आर्थिक संबंध को भू-राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारतीय कंपनियां लागत, विश्वसनीयता, टैक्नॉलजी, मांग और कारोबारी अवसरों के आधार पर बाज़ार चुनती रहेंगी।

यही वजह है कि नई दिल्ली का एजेंडा महत्वपूर्ण है। सिर्फ घोषणाएं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सिविल सेवा अधिकरण में तीन सप्ताह में अध्यक्ष नियुक्त करें'

जयपुर, 16 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा कि यदि इस अवधि में नियुक्ति नहीं होती है तो कार्मिक सचिव अदालत में पेश होकर इस संबंध में अपना जवाब पेश करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने ये

- **हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए।**

आदेश अधिवक्ता दिलीप कुरका व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष पर पर तीन सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसे में मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी जाए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए, नियुक्ति नहीं होने पर कार्मिक सचिव को तलब किया है।

गौरतलब है कि अदालत ने गत 4 अगस्त को सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के खाली चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही, अदालत ने एक सप्ताह में खाली पदों पर नियुक्ति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमित शाह का दावा पूरा करना इतना आसान नहीं लग रहा

शाह ने घोषणा की थी, एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी एनडीए की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर लेंगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। गृह मंत्री अमित शाह ने भले ही जोर देकर कहा है कि 21 एनडीए शासित राज्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविलि कोड-यूसीसी) लागू करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सभी एनडीए सहयोगी इसे लेकर समान उत्साह नहीं दिखा रहे हैं।

जनता दल (यूनाइटेड) ने दोहराया है कि वह सैद्धांतिक रूप से समान संहिता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं होने देगा। नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसी व्यापक सहमति चाहती है, जो भारत की धार्मिक और जातीय विविधता के ''नाजुक संतुलन'' का सम्मान करे।

इसी तरह, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने भी इसके मसौदे (ड्राफ्ट) को सार्वजनिक करने और सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की मांग की है। पार्टी ने देश के विविधतापूर्ण सामाजिक ढांचे और अलग-अलग समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का हवाला दिया है।

पूर्वोत्तर में मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगालैंड की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **बिहार में नीतीश की पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हैं, पर, इस विधेयक को पारित करने में आनाकानी कर रही हैं।**
- **नॉर्थ ईस्ट में एनडीए की समर्थक पार्टियाँ, मेघालय की नैशनल पीपुल्स पार्टी व नैशनलिस्ट डैमोक्रैटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यूसीसी का सिद्धांतः विरोध करते हैं। उत्तराखण्ड, गुजरात व मध्य प्रदेश यह विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज चुके हैं। पर, अभी स्वीकृति नहीं मिली है।**
- **महाराष्ट्र, प.बंगाल, छत्तीसगढ़ व राजस्थान ने विधेयक मजमून तैयार कराने के लिए समितियों का गठन कर लिया है।**

तीन महीने में पहली बार चन्नी व अमरिंदर सिंह वड़िंग एक मंच पर नज़र आए

अवसर था, प्रभारी सचिन पायलट द्वारा आप पार्टी के हरपाल सिंह चीमा के निवास को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी का मार्च

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। वे मार्च निकालने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन उनके एक साथ आने की घटना, विरोध प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण रही। मंगलवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान, पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप में एकता दिखी। पार्टी के नए सैंट्रल इंचार्ज सचिन पायलट ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग

- **कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलज़ार सिंह ने ड्रग्स के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था तथा इसके एवज में उसे तंग किया जा रहा था तथा अंततोगत्वा गुलज़ार सिंह ने आत्महत्या कर ली थी।**
- **पायलट के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में विधानसभा में पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। पर, उल्लेखनीय बात थी, मार्च में पायलट के दाईं ओर चन्नी और बाईं ओर वड़िंग चल रहे थे।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी 23 व 24 सितंबर को

जयपुर, 16 सितंबर 2026। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया की तारीख तय कर दी गई है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर

- **राज्य सरकार 15 नवंबर तक पंचायती राज की चुनाव प्रक्रिया करना चाहती है।**

2026 तक पूरी कराने के लक्ष्य के तहत, जिला एवं उपखंड स्तर पर लॉटरी निकालने की तैयारी शुरू कर दी है।

विभागीय पत्र के अनुसार, जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण/लॉटरी 23 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। वहीं उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए आरक्षण/लॉटरी 24 सितंबर 2026 को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एआई की विध्वंसकारी ताकतों से इतना घबराने की जरूरत नहीं'

एआई विशेषज्ञों में यह सोच भी उभर रहा है कि एआई सिस्टम में स्वयं ही अनाप-शनाप विस्तार व विकास पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रेक्स का प्रावधान होता है और ब्रेक्स सिस्टम से विनाश करने की प्रवृत्ति स्वयं ही नियंत्रित रहती है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटैलिजैंस -ए.आई) के विकास का प्रमुख केन्द्र है, में इस बात को लेकर तीखा विवाद चल रहा है कि क्या एआई कंपनियों को अपनी गति धीमी करनी चाहिए और अपने काम के व्यापक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। इसी बीच, इण्डस्ट्री की कुछ बड़ी कंपनियाँ अपना रुख बदल रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और एआई के क्षेत्र में कई लोग एक अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मॉडल, जो बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए पहले से ही काफी नियम और नियंत्रण मौजूद हैं। सबसे बड़ा डर किसी एआई मॉडल से होने वाले बड़े नुकसान की जिम्मेदारी का है।

उच्च क्षमता वाले इन मॉडलों और उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पाद बाजार में उतारने से पहले उनके संभावित प्रभावों पर विचार करना चाहिए।

- **बाहर से सरकार को व विशेषज्ञों को और नियंत्रण लगाने की जरूरत नहीं है।**

''ओपनएआई'' के सैम ऑल्टमैन, जो एआई मॉडलों के व्यापक हानिकारक प्रभावों को लेकर चेतावनी देने वाले शुरुआती लोगों में शामिल रहे हैं, का कहना है कि बड़ी कंपनियों और प्रमुख एआई कंपनियों के पास ऐसे सिस्टम हैं जिनसे वे ''एआई एजेंटों'' की गलत गतिविधियों में दखल देकर उन्हें समय रहते रोक सकते हैं।

अब धीरे-धीरे यह बात सामने आ रही है कि आखिर किस वजह से आज़ाद एआई एजेंट के बड़े सिस्टम पर बुरा असर डालने को लेकर इतनी जोरदार बहस शुरु हुई है।

एआई की एक कंपनी ने ऐसे एजेंट बनाए थे-ये एआई मॉडलों के भीतर मौजूद ऐसी इकाइयां थीं, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थीं। बाद में पाया गया कि इन एजेंटों ने एक अन्य एआई मॉडल के काम करने के कुछ पहलुओं का पता लगाया और उसे निशाना बनाना तथा नष्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए, बाद के चरण में इन एजेंटों ने अन्य एजेंटों के समूह भी बना लिए और उन सभी ने मिलकर नए मॉडल पर हमला किया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा

नई दिल्ली, 16 सितंबर। ''मालगुडी डेज'' के चर्चित अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और पांच दशक से अधिक लंबे शानदार फिल्मी सफर के लिए वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

- **उन्होंने पांच दशक से अधिक के अपने केरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है।**

चयन समिति की सिफारिश पर यह घोषणा की।

यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनंत नाग को प्रदान किया जाएगा। अनंत नाग ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''वर्कर्स सैस'' और उससे जुड़ी अव्यवहारिक पैनल्टी लगाये जाने के मामले में जयपुर के 27 बिल्डरों को राहत मिली

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील निस्तारित नहीं कर देते तब तक श्रम विभाग उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर,16 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 27 बिल्डरों को भारी पेनल्टी समेत ''कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर्स सैस'' की भरपाई करने के मामले में राहत दी है। अदालत ने इन सभी मामलों पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि जयपुर में प्रदेश के संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त द्वारा इन बिल्डरों पर जो भारी पेनल्टी और सैस लगया है, उस पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी, जब तक इस मामले की अपील की सुनवाई नहीं हो जाती और अंतिम फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने कहा है कि आयुक्त द्वारा लगाई गई पेनल्टी व सैस के 'असेसमेंट' वर्ष को लेकर विवाद है और इस विवाद की अपील उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए और जब तक सभी तथ्यों को जांच कर अपीलीय प्राधिकारी अपना फैसला नहीं देते, तब तक श्रम आयुक्त के आदेश पर रोक जारी रहेगी। न्यायाधीश अरूण मूंगा और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खण्डपीठ ने ये आदेश रिधीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नीतिश बागरी व श्रीतिमा बागरी मुख्य तौर पर पैरवी के लिए पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में याचिकाकर्ता बिल्डरों का कहना है कि जिस तरह से जयपुर में प्रदेश के संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त द्वारा ''कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर्स सैस'' (निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर) लगाया गया है, उस पर विवाद है। याचिकाकर्ताओ का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बिल्डर अव्यवहारिक पैनल्टी वसूले जाने के खिलाफ 4 हफ्तों में अपील दायर कर सकते हैं और सुनवाई से पहले उन्हें सैस और पैनल्टी की राशि जमा नहीं करवानी होगी।**
- **इस मामले में संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने बिल्डर के ''कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट'' का एसैसमेंट वर्ष 2021 में किया और पैनल्टी और सैस वसूलने का नोटिस वर्ष 2023 में जारी किया, परंतु आदेश में यह भी कहा गया कि पैनल्टी वर्ष 2011 से वसूली जायेगी। उदाहरण के लिए, संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त के आंकलन के अनुसार, एक मामले में निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति का वर्ष, 2011 था, इसलिए वर्ष 2011 से ही प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की पैनल्टी वसूलने के आदेश भी पारित किये गये।**

उज्जैन में खड़े हनुमान जी को यथा स्थान रखने के लिये श्रद्धालू उमड़े

उज्जैन, 16 सितम्बर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सराफा बाजार स्थित खड़े हनुमान मंदिर को सड़क चौड़ी करने के दौरान यथास्थान रखने की मांग को लेकर बुधवार को सकल हिंदू समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंदिर से कंठाल चौराहे तक करीब एक किमी तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही और संतों ने

- **साधु संतों ने हनुमान मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कराने का संकल्प दिलाया।**

प्रतिमा नहीं हटाने की मांग के साथ भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया।

बुधवार को खड़े हनुमान मंदिर के समर्थन में पांच हजार से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। मंदिर से कंठाल चौराहे तक करीब एक किमी के रास्ते में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आयोजन में साधु-संतों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)